## प्रेस विज्ञप्ति (20.04.2012)

**विधानसभा में विनियोग विधेयक एवं वित्त विधेयक पारित करने के दौरान माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा निम्नानुसार घोषणाएं की गईः–**

- चिकित्सा महाविद्यालयों में विडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अध्यापन कराने हेतु राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय तथा सभी चिकित्सा महाविद्यालयों को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ा जायेगा।
- राज्य में स्थापित राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों के विधि संकाय में अध्ययनरत 8 हजार विद्यार्थियों के अतिरिक्त 15 राजकीय एवं 43 निजी विधि महाविद्यालयों में लगभग 20 हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विधिक शिक्षा के स्तर में सुधार एवं एकरूपता लाने के उद्देश्य से जयपुर में ''डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय'' स्थापित करने की मैं घोषणा करता हूँ। इस विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु इस वर्ष 10 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे। राज्य में संचालित 58 राजकीय एवं निजी विधि महाविद्यालयों को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध (affiliate) किया जायेगा।
- विशेष योग्यजन व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं उपकरण उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में आय सीमा 25 हजार रुपये प्रतिवर्ष है। मैं घोषणा करता हूँ कि ऐसे विशेष योग्यजन व्यक्ति, जिनके माता–पिता आयकर नहीं देते हैं, वे सब कृत्रिम अंग एवं उपकरणों हेतु पात्र माने जायेंगे।
- वर्ष 2011–12 के बजट में मैंने प्रथम चरण में सभी 7 संभागीय मुख्यालयों पर, केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना क्रियान्वित करने की घोषणा की थी। इस योजना के अन्तर्गत असंगठित श्रमिकों, जिनमें स्ट्रीट वेन्डर्स, बीडी श्रमिक, निर्माण श्रमिक तथा नरेगा श्रमिक शामिल हैं, को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अब मैं यह योजना प्रदेश के समस्त जिलों में लागू करना प्रस्तावित करता हूँ। इस योजना हेतु प्रीमियम के पेटे लगभग 120 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे प्रदेश के 40 लाख से अधिक श्रमिक लाभान्वित हो सकेंगे। मैं माननीय सदस्यों से यह अपील करूंगा कि वे असंगठित श्रमिकों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रेरित करेंगे।
- मुख्य मंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष के माध्यम से नवजीवन योजना के समस्त जिलों के लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त राज्य की भोपा, बागरिया, बंजारा, गडिया–लोहार, कंजर, सांसी, नट, मेव–मिरासी, जागा, जोगी, वाल्मिकी–हरिजन, रेबारी, मदारी, अल्लीशाह, सपेरा, रायसिख, भिस्ती आदि जातियों के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से अत्यन्त पिछड़े हुए परिवारों को भी मुख्य मंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष के अन्तर्गत लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।
- अल्प संख्यकों के कल्याण हेतु संचालित कार्यक्रमों की प्रभावी मोनिटरिंग हेतु संभागीय आयुक्त कार्यालयों में उप निदेशक स्तर के अधिकारी का पदस्थापन किया जायेगा।
- राज्य की मेरिट–कम–मींस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2011–12 में लगभग 600 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। इसकी तुलना में वर्ष 2012–13 में 1 हजार 500 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य प्रस्तावित है।
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति की दर बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। इस वर्ष से कक्षा छठी से आठवीं तक छात्रवृत्ति की दर छात्रों के लिए 15 रुपये मासिक से बढ़ाकर 50 रुपये तथा छात्राओं

हेतु 75 रुपये मासिक से बढ़ाकर 100 रुपये की जायेगी। साथ ही कक्षा नौ एवं दस के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की दर 30 रुपये मासिक से बढ़ाकर 60 रुपये एवं छात्राओं के लिए 100 रुपये मासिक से बढ़ाकर 120 रुपये की जायेगी। इस बढ़ोतरी से प्रदेश के लगभग 9 लाख छात्र–छात्राएं लाभान्वित होंगे तथा 25 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा।

- पंचायतों द्वारा जनता जल, स्वजलधारा, सैक्टर रिफोर्म एवं पनघट आदि योजनाओं के संचालन में आ रही कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए, पंचायतों को इन योजनाओं के रखरखाव का खर्चा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में हमारी सरकार के निर्णय से माननीय सदस्यों को सिंचाई विभाग की मांग पर चर्चा के समय अवगत कराया गया था। इन योजनाओं के रखरखाव हेतु 50 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये जायेंगे।
- कृषकों को नवीनतम तकनीकी जानकारियाँ उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश में 10 नये कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जायेंगे, जिनमें ये शामिल हैं:–
  - अलवर में गुन्टा, नागौर में मौज़ा, जयपुर में कोटपूतली, चूरू में तिरपाली छोटी, जोधपुर में फलौदी, हनुमानगढ़ में चक–27–एन.टी.आर., प्रतापगढ़ में बसाड़, बाड़मेर में गुड़ामलानी, बीकानेर में लूणकरणसर, जैसलमेर में पोकरण
- मुझे सदन को अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि वर्ष 2012–13 में राज्य के 1265 मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग्स पर आर.यू.बी. (Railway Under Bridge) बनाने के कार्य रेलवे द्वारा हाथ में लिए जायेंगे। इन RUBs के निर्माण से आवागमन में सुविधा के साथ–साथ दुर्घटनाओं की संख्या में भी कमी आयेगी। राज्य सरकार द्वारा इन RUBs के निर्माण हेतु आवश्यकतानुसार सम्पर्क सड़कों का निर्माण किया जायेगा।
- बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण एवं प्रबन्धन हेतु, एन्वायरमेंट एण्ड हैल्थ सेस फण्ड से 5 करोड़ 50 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे।
- बजट में एवं उसके पश्चात सामान्य चर्चा का उत्तर देते समय मैंने प्रदेश में तहसीलों एवं उप तहसीलों के सृजन की घोषणा की थी। माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये अतिरिक्त प्रस्तावों को दृष्टिगत रखते हुए तहसीलों एवं उप तहसीलों का सृजन प्रस्तावित है:–
  - उप तहसील से तहसील में क्रमोन्नयन –
    - कोटा में कनवास, डूंगरपुर में गलियाकोट, भीलवाड़ा में फूलियाकलां और हमीरगढ़, बाड़मेर में सिणधरी और सेड़वा
  - बजट में डूंगरपुर में साबला में नवीन उप तहसील सृजित करने की घोषणा की गई थी। अब साबला में तहसील सृजित करना प्रस्तावित है।
  - नवीन उप तहसीलों का सृजन –
    - बाड़मेर में समदड़ी, दौसा में मण्डावर, अजमेर में अराई, भीलवाड़ा में काछौला
- वर्तमान परिस्थितियों में आन्तरिक सुरक्षा की दृष्टि से राज्य के Intelligence Network को सुदृढ़ करने हेतु बेहतर एवं विशिष्ट प्रशिक्षण अतिआवश्यक है। अतः मैं जयपुर में 'इंटेलिजेन्स ट्रेनिंग एकेडमी' की स्थापना किये जाने की घोषणा करता हूँ। इसके साथ ही इंटेलिजेन्स के कार्य हेतु निरीक्षक स्तर तक के अधिकारियों का पृथक केडर गठित किया जायेगा।
- राज्य में पुलिस प्रशासन को और अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने की दृष्टि से राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत राज्य एवं जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेही समितियाँ स्थापित की जायेंगी।

- बजट में मैंने राज्य के पुलिस तन्त्र को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से अनेक घोषणाएं की थीं। इसके उपरान्त माननीय सदस्यों द्वारा पुलिस तन्त्र के और विस्तार के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। इनको दृष्टिगत रखते हुए 2 वर्षों में 2 नये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, 7 वृत्त कार्यालय, 19 थाने एवं 36 चौकियाँ स्थापित करना प्रस्तावित है, जिनमें ये शामिल हैं:–
  - अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय –
    - डीग–भरतपुर, भादरा–हनुमानगढ़
  - वृत्त कार्यालय –
    - मण्डोर–जोधपुर, बोरानाड़ा–जोधपुर, गुडामलानी–बाड़मेर, रदारशहर–चूरू, डेगाना–नागौर, बागीदौरा–बांसवाड़ा, मनोहर थाना–झालावाड़
  - पुलिस थाने –
    - मतोड़ा–जोधपुर ग्रामीण, बनाड–जोधपुर, बोरानाड़ा–जोधपुर, कुड़ी भगतासनी–जोधपुर, कांकरोली–राजसमन्द, निम्बाहेड़ा सदर–चित्तौड़गढ़, खो नागोरियान–जयपुर, अमरसर–जयपुर, भांकरोटा–जयपुर, सेज़ औद्योगिक क्षेत्र–जयपुर, करवर–बूंदी, मण्डलेरा–झुन्झुनू, रामसागड़ा–डूंगरपुर, नाल–बीकानेर, कालू–बीकानेर, नीम का थाना सदर–सीकर, उद्योग नगर–सीकर, सेमारी–उदयपुर, तलवाड़ा–हनुमानगढ़
  - पुलिस चौकियाँ –
    - सीकर में खण्डेला, जालौर में सुन्धा पर्वत एवं जिला चिकित्सालय, हनुमानगढ़ में जिला चिकित्सालय, कलेक्ट्रेट, मालारामपुरा एवं जाखड़वाली, उदयपुर में कनबई, बांसवाड़ा में जिला चिकित्सालय एवं भुगड़ा, प्रतापगढ़ में केलामेला, जिला चिकित्सालय एवं जाखम डैम, सवाईमाधोपुर में जिला चिकित्सालय एवं तलवाड़ा, अजमेर में मसूदा, विजय नगर, ब्यावर सिटी चिकित्सालय एवं मसाणियां भैरूधाम राजगढ़, नागौर में नावां एवं जिला चिकित्सालय, बूंदी में समीधी एवं झालीजी का बराना, बारां में महादेव घाट ग्राम बदनवास एवं जिला चिकित्सालय, करौली में जिला चिकित्सालय, गुरदेह, चन्देलीपुरा एवं महू, पाली में बगड़ी एवं निम्बोल, जोधपुर में बिलाड़ा अस्पताल, बाड़मेर में जिला चिकित्सालय, श्रीगंगानगर में जिला चिकित्सालय, धौलपुर में जिला चिकित्सालय, कोटा में रामगंजमण्डी चिकित्सालय
- गृह विभाग की बजट मांग पर चर्चा के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने बढ़ते साइबर अपराध के सम्बन्ध में चिन्ता जाहिर की थी। मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूँगा कि जयपुर में पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के अधीन साइबर पुलिस स्टेशन खोला जा रहा है, जिसके माध्यम से राज्य के साइबर अपराधों एवं शिकायतों के सम्बन्ध में प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी।
- नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा विभाग के अन्तर्गत स्ववित्त पोषित आधार पर निजी सुरक्षा एजेन्सियों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी। सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण–पत्र भी जारी किये जायेंगे ताकि उनको नियोजन में सहायता मिल सके।
- हैण्डलूम कॉरपोरेशन, बुनकर संघ, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा स्पिनफैड के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु 10 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।

- वर्तमान में प्रभावी न्यूनतम मज़दूरी की दरों को बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूँ। दिनांक 1 मई से अकुशल कामगार के लिए न्यूनतम मज़दूरी 135 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 147 रुपये, अर्द्धकुशल कामगार के लिए 145 रुपये से बढ़ाकर 157 रुपये, कुशल कामगार के लिए 155 रुपये से बढ़ाकर 167 रुपये तथा उच्च कुशल कामगार हेतु 205 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 217 रुपये प्रतिदिन करना प्रस्तावित है।
- राजस्थान रत्न के सम्मान हेतु लोक सेवा, समाज सेवा तथा क्रीड़ा क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को भी पात्र माना जायेगा।
- प्रदेश में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में 2 वर्षों की अवधि में 20,000 सफाई कर्मियों की भर्ती की जायेगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं अन्य प्रयोजनों हेतु ऋण उपलब्ध करवाने तथा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के योगदान को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा इन बैंकों को 40 करोड़ रुपये की अंश पूंजी उपलब्ध करवाई जायेगी।
- राजकीय खरीद में राज्य के लघु उद्योगों को दिये जा रहे purchase preference के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमियों हेतु 4 प्रतिशत भाग earmark करने की मैं घोषणा करता हूँ।
- ए.एन.एम. को 400 रुपये प्रतिमाह की दर से तथा जी.एन.एम. को 600 रुपये प्रतिमाह की दर से नर्सिंग भत्ते का भुगतान किया जायेगा।
- इंदिरा गाँधी नहर परियोजना में कार्यरत मेटों की लम्बे समय से चली आ रही मांग को दृष्टिगत रखते हुए इनकी चयनित वेतनमान से सम्बन्धित विसंगति दूर करने का निर्णय लिया गया है।
- मैं समस्त प्रकार के यार्न को प्रवेश कर से मुक्त करना प्रस्तावित करता हूँ।
- राज्य में कर प्रशासन को और अधिक सुदृढ़ करने एवं करापवंचना को रोकने हेतु राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय का गठन किया गया था। इस निदेशालय के कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने तथा राज्य एवं केन्द्रीय राजस्व संगठनों में बेहतर सूचना का आदान प्रदान सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष 3 करोड़ रुपये की लागत से एक Integrated I.T. Project क्रियान्वित किया जायेगा।
- गत वर्ष एस.एस. शीट्स एवं सर्किल्स पर कर दर को 5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया गया था। व्यापार एवं उद्योग जगत द्वारा इनके विनिर्माण में प्रयुक्त एस.एस. फ्लेट्स पर भी कर दर को कम करने की मांग की गई है। अतः मैं एस.एस. शीट्स एवं सर्किल्स के विनिर्माण के लिए विनिर्माताओं द्वारा खरीदे जाने वाले एस. एस. फ्लेट्स पर कर दर को 5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत करने की घोषणा करता हूँ।
- माननीय विधायकों को अपने क्षेत्रों का दौरा करने के लिए प्रत्येक माह 10 दिन के लिए राजकीय वाहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है तथा राजकीय वाहन की एवज में 10 हजार रुपये की राशि प्रतिमाह स्वीकृत की जाती है। पैट्रोल एवं डीज़ल के दामों मे बढ़ोतरी को दृष्टिगत रखते हुए इस राशि को बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिमाह करना प्रस्तावित है।
- विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के माध्यम से विधायकगण अपने क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार विकास कार्य करवाते हैं। माननीय सदस्यों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विधायक हेतु निर्धारित 1 करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये करने की मैं घोषणा करता हूँ।